उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 13/2017/2062/92-2-2017-91आरई/98
लखनऊ :: दिनांक:: 04 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी में कतिपय गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के संज्ञान में आने पर शासन कार्यालय ज्ञाप सं0-131/62-3-99-91आरई/98 दिनांक 05-03-1999 द्वारा श्री जे0एन0 तिवारी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी को निलम्बित किया गया तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-663(1)/62-3-99-91आरई/98 दिनांक 05-03-1999 द्वारा श्री जे0एन0 तिवारी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी के विरूद्व सी0सी0ए0 रूल्स-55 के अंतर्गत प्रचलित अनुशासनिक जॉच हेतु श्री आर0सी0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- प्रश्नगत प्रकरण में जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल -लखनऊ के पत्र सं0-1265/ग्रा0अ0से0/शि0(अ0अ0)/जांच-वाराणसी/2000-2001 दिनांक 22-06-2000 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कतिपय आरोप सिद्व पाये गये। आरोपो के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 13-07-2000 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी के दिनांक रहित पत्र के माध्यम से शासन में दिनांक 11-10-2000 को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात परीक्षणोपरान्त शासन के पत्र दिनांक 22-02-2001 द्वारा जोंच अधिकारी/तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी से आरोप सं0-06, 07, 08 व 11 के संबंध में स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने के साथ ही शासन के कार्यलय ज्ञाप संख्या-6869/62-3-2000/91आर0ई0/98 दिनांक 22-02-2001 द्वारा श्री तिवारी के निलम्बन को समाप्त कर उन्हें सेवा में इस शर्त के साथ बहाल किया गया कि उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलन में रहेगी।

3- शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जांच अधिकारी/तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर के पत्र संख्या-1226/ग्रा0अ0से0/अनु0जांच-जे0 एन0तिवारी-अधि0अ0/2003-2004 दिनांक 02-09-2003 द्वारा जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। तत्पश्चात शासन के पत्र दिनांक 09-01-2006 द्वारा जांच अधिकारी की जांच आख्या की प्रति पुन: अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी को प्रेषित करते हुये अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी के पत्र दिनांक 11-04-2006 द्वारा शासन में प्राप्त हुआ। तत्पश्चात शासन के पत्र दिनांक 26-06-2006 द्वारा प्रकरण के संबंध में प्राप्त जॉच आख्यायें व अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तेवारी के अभिकथन की प्रति वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित कर आरोप संख्या- 06 व 07 के संबंध में उनकी आख्या/संस्तुति मांगी गयी। वित्त नियंत्रक की आख्या उनके पत्र संख्या-जी-993/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ग्रा0अ0से0/बजट/जांच-जे0एन0ति0/2006-07 दिनांक 03-08-2006 द्वारा शासन में प्राप्त हुआ।

4- कालान्तर में अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-01-2009 को सेवानिवृत्त हो गए। उनके विरूद्व संस्थित प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कायार्लय ज्ञाप संख्या-233/92(प्रकोष्ठ)/11-91आरई/98 दिनांक 18-07-2011 द्वारा सी0एस0 आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किया गया।

5- प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी पर अधिरोपित कुल 11 आरोपो में से आरोप सं0-3, 4, 5, 8, 10 एवं 11 स्थापित नही पाये गये। आरोप सं0-2 आंशिक रूप से एवं आरोप सं0-1,6,7 एवं 9 पूर्णरूप से स्थापित पाये जाने से अग्रिम प्रकीर्ण की धनराशि रू0 1,15,03,593.96 एवं त्रणात्मक व्यय की धनराशि रू0 1,61,75,900.72 अर्थात कुल रू0 2,92,23,912.35 की शासकीय क्षति निहित है। सिद्ध पाये गये आरोप सं0-1,6,7 एवं 9 का विवरण निम्नवत है :-

<u>आरोप संख्या-1</u> :-

आप द्वारा वित्तीय वर्ष 85-86, 86-87, 87-88, 91-92, 92-93, 93-94, 95-96 एवं 96-97 में स्टाक सस्पेन्स मद में क्रय की गयी निर्माण सामग्रियों में मूल्य रू0 14,62,934.86 की सामग्रियां अनावश्यक होने के कारण अप्रयुक्त रही। स्टाक सस्पेन्स मद में मूल्य रू0 78,092.08 रू0 के स्क्रेप होने, उसे नीलाम न करने एवं बिना स्वीकृत के तात्कालिक आवश्यकता न होने पर भी क्रय करने का आरोप है। इस प्रकार आप द्वारा शासकीय धनराशि के दुरूपयोग करने के साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-182, 184, 187, 188 का उल्लंघन किया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का उत्तर</u> -

मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 85-86, 86-87, 87-88, 91-92, 92-93, 93-94, 96-97 में उल्लिखित निर्माण सामग्रियाँ स्वीकृत कार्यो से स्वीकृत प्राक्कलन के प्राविधान के अनुरूप ही क्रय ही गयी थी। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभिन्न विभागों के डिपाजिट के रूप में प्राप्त कार्यो को सम्पादित कराते है, इन कार्यो को स्वीकृत धनराशि के अन्दर पूर्ण कराने का दायित्व मण्डलीय अधिकारी का होता है।

अत: डिपाजिट कार्य को सम्पादित कराये जाने के लिये कार्यो के स्वीकृत प्राक्कलन के अंतर्गत निर्माण सामग्रियाँ क्रय की गयी, क्योंकि मूल्य सूचकांक सदैव बढते रहे है। आरोप पत्र में दर्शित वर्षवार अवशेष सामग्रियों की तुलना वर्ष के उपलब्ध कार्यो की धनराशि से होने पर सामग्रियो की लागत नगण्य है।

वर्ष	उपलबध धनराशि	अप्रयुक्त सामग्री की लागत	प्रतिशत
1985-86	103.75	0.19322	0.19 प्रतिशत
1986-87	175.51	1.66244	0.95 प्रतिशत
1987-88	267.64	2.03967	0.76 प्रतिशत
1991-92	189.09	0.64644	0.34 प्रतिशत
1992-93	242.36	0.75349	0.31 प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1993-94	374.40	0.43976	0.12 प्रतिशत
1995-96	734;80	2.14056	0.29 प्रतिशत
1996-97	475.10	6.37885	1.3 प्रतिशत

वर्ष 1995-96 तथा 96-97 के अप्रयुक्त सामग्रियो को भी अनावश्यक बताया गया है जबकि दिनांक 1-04-1997 से डी0सी0एल0 की प्रथा लागू होने के कारण कार्य वांछित रहे। इनसे संबंधित निर्माण कार्यो की स्वीकृत प्राक्कलन के वाछित सामग्री का भण्डारण शासकीय हित में है। जैसा कि आरोप पत्र से सुस्पष्ट है कि कोई भी सामग्री जो पेरिसेबुल है उसे क्रय नही किया गया है क्योंकि कालान्तर में उसे उपयोग हो जाने की पुष्टि की गयी है। इस प्रकार न तो इसे अनावश्यक ही कहा जा सकता है न ही शासकीय क्षति। बल्कि इन सामग्रियो के प्रयोग से वर्तमान के स्वीकृत कार्यो की लागत में कमी आयेगी जो शासकीय प्राप्ति होगी।

जहॉ तक मु0 रू0 78092.00 स्क्रैप का प्रश्न है (जो उपर्युक्त सामग्री में शामिल नही है) सूचनीय है कि समस्त औपचारिकताओ को पूर्ण करके नीलामी की स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता को कार्यालय के पत्रांक-939/ दिनांक 17-12-97 प्रेषित किया गया है लेकिन स्वीकृति के अभाव में अग्रिम कार्यवाही अवरूद्व रही। जहॉ तक पेन्ट/वार्निश का प्रश्न है उसे विस्तार से आरोप संख्या-2 के उत्तर में दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मेरे स्तर से न तो कोई अनावश्यक तथा बिना स्वीकृति प्राक्कलन के कोई सामग्री ही क्रय की गयी, न ही शासकीय धन का दुरूपयोग किया गया।

इस प्रकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 के प्रस्तर-182, 184, 187 एवं 188 का पूर्ण पालन किया गया। यदि पालन नही होता तो नियम-184 के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता द्वारा टिप्पणी की गयी होती। अत: आरोप निराधार तथा आलोपित करने योग्य है।

<u>जॉच अधिकारी की जॉच आख्या</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उसे प्रखण्डीय कार्यालय से आरोप से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये, साथ ही उल्लिखित निर्माण सामग्रियां स्वीकृत कार्यो के स्वीकृत प्राक्कलनों के प्राविधान के अनुसार ही क्रय की गयी थी। इसके समर्थन में आवश्यकतानुसार तुलनात्मक विवरण दिया गया है। आरोपी अधिकारी द्वारा अपने दिये गये विवरण के समर्थन में कोई साक्ष्य नही दिया गया है। अत: आरोप का यह अंश स्टाक का क्रय बिना स्वीकृत प्राक्कलन के किया गया साक्ष्य विहिन होने के कारण सिद्ध पाया जाता है। चूंकि उपरोक्त सामग्रियां वर्ष 97 तक अप्रयुक्त रही अत: आरोप का यह अंश इसकी तात्कालिक आवश्यकता नहीं थी, सिद्ध पाया जाता है।

उपरोक्त सामग्रियों में से 70,092.08 रूपये का सामग्री स्क्रेप के रूप में पायी गयी, शेष 13,17,013.78 रूपये सामग्री का प्रयोग हेतु उपयुक्त पायी गयी 78,092.00 रूपये के स्क्रेप की नीलामी हेतु अपचारी अधिकारी द्वारा अधीक्षण अभियंता से स्वीकृत की मांग की गयी थी। अत: उक्त धनराशि की नीलामी न किये जाने का आरोप स्थापित नही पाया जाता है।

<u>आरोप संख्या-6</u>

आप द्वारा वाराणसी प्रखण्ड की कार्यावधि के दौरान अपने एवं अपने पूर्वाधिकारियों के द्वारा डाली गयी मु0 1,85,93,892.21 रूपये के लम्बित अग्रिम प्रकीर्ण के समायोजन एवं वसूली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आदि हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के फलस्वरूप मु0 1,30,32,595.19 रूपये की धनराशि असमायोजित पडी रही। असमायोजित धनराशि में से अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व मु0 44,03,954.87 रूपये विभिन्न फर्मो के विरूद्व मु0 7,80,417.92 रूपये सरकारी प्रतिष्ठानो के विरूद्व मु0 2,76,261.15 अन्य शासकीय विभागों के विरूद्व मु0 73,,25,919.85 रूपये की धनराशि अग्रिम प्रकीर्ण के रूप में लम्बित रही है, जो कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-75,77,578, 582 एवं 593 का उल्लंघन है। विभागों एवं फर्मो के विरूद्व अनियमित रूप से डाली गयी अग्रिम प्रकीर्ण धनराशि के समायोजन का प्रयास भी नही किया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का उत्तर</u> -

आरोप पत्र के प्रतिउत्तर में निवेदन है कि मु0 रू0 1,85,93,692.21 रू0 की धनराशि मेरे एवं खण्ड में कार्यरत रहे अन्य अधिशासी अभियंताओं के कार्यकाल से संबंधित थी। मेरे स्तर से अग्रिम प्रकीर्ण के समायोजन हेतु लगातार प्रयास किये जाते रहे है और इसी के फलस्वरूप यह धनराशि घटकर मु0 1,30,592.12 रू0 रह गयी जो स्वयं में स्पष्ट करता है कि मेरे द्वारा प्रभावी कार्यवाही किये जाने का स्पष्ट अंकन है। समायोजन के संबंध में पत्राचार की प्रतियां या कार्यवाही करने हेतु उच्च अधिकारियों को भी सूचनायें दी जाती रही। अतः फर्मो/विभागों के ऊपर अग्रिम प्रकीर्ण नियमों के अंतर्गत ही डाला गया है तथा अग्रिम प्रकीर्ण के समायोजन हेतु नियमानुसार प्रत्येक कार्यवाही मेरे द्वारा की गयी है।

इस प्रकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के नियम 75,77, 578, 582 एवं 503 का कही भी उल्लंघन नही हुआ है क्योंकि नियम-75 अधीक्षण अभियंता के प्रति अधिशासी अभियंता को उत्तरदायी होना है। मेरे द्वारा यह समस्त सूचनायें मौखिक एवं लिखित रूप से सदैव उनके संज्ञान में लायी जाती रही है। अतः इसका पालन हुआ है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-77 बताया है कि प्रखण्ड प्रत्येक प्रकार से सही रहे, भुगतान के समस्त बाउचर प्राप्त है, लेखा नियमित पोष्ट हो, तथा एकाउन्टेट के पद के बारे में बताया गया है कि यह पद लेखा के संबंध में सहायक अभियंता के समकक्ष है। आरोप में इस प्रकार का कोई आक्षेप नही है जिससे 72 का उल्लंघन दर्शित हो।

नियम-578 के अंतर्गत आने वाले आइटमों का मात्र वर्गीकरण किया गया है। यह कार्यवाही पूर्ण है। अतः नियम का उल्लंघन नही किया गया है।

नियम-572 के अंतर्गत जिन धनराशियो के समायोजन के बारे में फाइनल लेखाशीर्षक या मद का ज्ञान न हो, उन्हें अण्डर टान्जेक्शन के अंतर्गत डाला जाता है जो बाद में फाइनल मद में जानकारी के बाद समायोजित कर दिया जाता है। चूंकि संदर्भित अग्रिम प्रकीर्ण अभी समायोजित नही हुई है इसलिये नियम 582 के उल्लंघन का प्रश्न ही नही है। नियम-583 के अंतर्गत जिन निक्षेप कार्यो पर किसी कारण अनुदान से अधिक व्यय हो जाता है उसे असथायी तौर पर अग्रिम प्रकीर्ण के रजिस्टर में डाले जाने का प्राविधान है जो बाद में अनुदान प्राप्ति के पश्चात समायोजित कर दिया जाता है। अतः इस नियम का भी परिपालन हुआ है।

इस प्रकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-75, 77, 578, 582 एवं 583 का कदापि उल्लंघन नही किया गया है।

<u>जॉच अधिकारी की जॉच आख्या</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या-761 दिनांक 08.01.98 एवं पत्र सं0-762 दिनांक 08.01.98 द्वारा विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों/फर्मो एवं विभागों के नाम पडी धनराशि के समायोजन हेतु क्रमशः मिर्जापुर को मु0 6,93,917.39 एवं जौनपुर को 4,34,136.03 भेजा गया इस प्रकार कुल 1,30,32,595.19 में से 11,28,053.00 की धनराशि प्रखण्ड मिर्जापुर/जौनपुर द्वारा समायोजित किया जाना था, के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु दर्षित है परन्तु शेष 1,19,04,541.74 की धनराशि समायोजन हेतु अधिशासी अभियंता वाराणसी के स्तर पर लम्बित रही जिसके लिए समायोजन का प्रयास का कोई साक्ष्य अपचारी अधिकारी द्वारा नही दिया गया है। अतः आरोप इस सीमा तक सिद्ध पाया जाता है।

<u>आरोप संख्या-7</u> -

प्रखण्ड-वाराणसी में विभिन्न विभागों/योजनाओं पर उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय किया गया, जिसके कारण ऋणात्मक व्यय की स्थिति प्रखण्ड में की गयी। ऋणात्मक व्यय की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	योजना विभाग का नाम	व्ययाधिक्य
1.	एन0आर0ई0पी0	58,08,640.98
2.	सामुदायिक विकास विभाग	10,70,495.38
3.	स्वास्थ्य विभाग	1,65,453.29
4.	राजस्व विभाग	66,35,669.91
5.	पशुपालन विभाग	22,02,387.93
6.	बी0आर0सी0	14,24,190.70
7.	रेशम विभाग	3,73,712.42
8.	युवा कल्याण विभाग	4,32,936.80
9.	जे0आर0वाई0	25,73,307.80
10.	पूर्वान्चल विकास निधि	63,55,411.05
11.	उद्यान विभाग	2,57,206.26
12.	कृषि विभाग	1,08,222.83
13.	न्याय विभाग	3,647.00
	योगः-	**2,74,11,282.35**

उक्त व्ययाधिक्य का समायोजन न होने के कारण आप मु0 2,74,11,282.35 रूपये का ऋणात्मक व्यय करने के दोषी है एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-79, 316, 317, 580 के उल्लंघन के दोषी है।

<u>अपचारी अधिकारी का उत्तर</u> -

इस संबंध में स्पष्ट करना है कि प्रखण्ड की स्थिति उक्त कालावधि में ऋणात्मक नही है वस्तुतः प्रखण्ड के पास मु0 1.26 करोड रूपये धनात्मक है।

इस संबंध में सूच्यनीय है कि सर्वप्रथम महालेखाकार (लेखा/हकदारी) ने खण्ड के आडिट करने में मु0 5.13 करोड रू0 के ऋणात्मक होने का उल्लेख किया था तथा महालेखाकर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(लेखा/हकदारी) ने इस अनियमितता की जॉच तथा अदयावधिक आडिट करने के लिये महालेखाकार (सम्प्रेक्षा) से अनुरोध भी किया। इस संबंध में महालेखाकार के आडिट पार्टी के द्वारा विधिवत समस्त अभिलेखों आदि के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त खण्ड में रू0 मु0 1.18 करोड को धनात्मक राशि होने की पुष्टि की गयी।

इस विवरण की चेकिंग तत्कालिक वित्त नियंत्रण, श्री बी0एल0 राठौर के निर्देश पर कोषागार से भी करायी गयी। जिस आधार पर समस्त जमा की गयी एवं व्यय की गयी धनराशि के सत्यापन के पश्चात खण्ड के पास मु0 1.26 करोड घनात्मक पाया गया, जो कि प्रखण्ड के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने के लिये पर्याप्त था। इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो गयी कि प्रखण्ड के द्वारा कोई भी अधिक धनराशि व्यय नही की गयी है। इस प्रक्रिया के पूर्व जब मेरे संज्ञान में प्रखण्ड के कई मदों का ऋणात्मक होना दर्शित होने लगा तब मेरे द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-1016 दिनांक 16-12-96 के द्वारा डिपाजिट रजिस्टर की छानबीन के लिये एक कमेटी गठित की गयी। रजिस्टर की छानबीन में बडी-बडी गलतियॉ मिलनी प्रारम्भ हुई। अत: वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-769 बी के अनुसार गल्तियों के निराकरण का निर्णय लिया गया और डिपाजिट रजिस्टर को रिकास्ट करने की कार्यवाही की गयी।

रिकास्टेड डिपाजिट रजिस्टर को महालेखाकार को आडिट पार्टी सी0ए0जी0, भारत सरकार की टीम तथा तत्कालीन वित्त नियंत्रक के द्वारा देखा गया। तत्कालीन वित्त नियंत्रक मु0 रू0 1.16 करोड की घनात्मक धनराशि को मानने को तैयार नही हुई तथा इस बात का निर्णय के लिये कि कोषागार से डिपाजिट तथा व्यय का सत्यापन करा लिया जाय। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि वित्त नियंत्रक ने कोषागार वाराणसी को उक्त कार्य के लिये अपने पत्रांक-216 दिनांक 26-06-98 द्वारा अनुरोध किया गया। सत्यापन के पश्चात यह धनराशि मु0 रू0 1.26 करोड धनात्मक पायी गयी।

इस सूचना को एक बुकलेट के फार्म में तैयार कर मेरे द्वारा वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लखनऊ, अधीक्षण अभियंता एवं निदेशक एवं मुख्य अभियंता तथा सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित कर दिया गया।

यह डिपाजिट उन्हीं मदो से संबंधित है जिनका उल्लेख आरोप पत्र में किया गया है। अत: इस प्रकार यह कहना कि व्ययाधिक्य किया गया है वास्तविक नही है और मात्र मुझे प्रताडित करने के उददेश्य से यह कार्यवाही की गयी है क्योंकि वित्त नियंत्रक द्वारा अभिलेखो की मांग के समय यह जानते हुये कि प्रखण्ड का पुराना डिपाजिट रजिस्टर गलत लेखांकन के कारण त्रुटिपूर्ण हो गया है और इसकी रिकास्टिंग महालेखाकार एवं सी0ए0जी0 दिल्ली के संज्ञान में है फिर भी इस आरोप पत्र के गठन के समय अभिलेखों की मांग में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है रिकास्टेड डिपाजिट रजिस्टर न भेजे जाय, एक उच्च अधिकारी के द्वारा यह कार्यवाही अन्यायपूर्ण एवं दुर्भावनापूर्ण थी। अत: जानबूझकर गलत रजिस्टर को आधार बनाकर मुझे आरोपित कर दिया गया।

जब स्वयं मेरे द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के 769 (ब) नियमांतर्गत गल्तियो के निराकरण की कार्यवाही की जा रही थी तो उन्हे धैर्य से परिणाम तक कार्य करने देने चाहिये था क्योंकि यह महालेखाकार एवं कोषाधिकारी द्वारा सत्यापित तथ्यों एवं प्रखण्ड के मूल अभिलेखों पर ही बना है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि महालेखाकार एवं कोषाधिकारी द्वारा सत्यापित आंकडो को नजरअंदाज करते हुये मुझे प्रताडित करने के उददेश्य से गलत एवं तथ्यहीन तथा आधारहीन आंकडो के आधार पर यह आरोप गठित किया गया है जो स्वत: ही निरस्त करने योग्य है। वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियम-79 के अंतर्गत सदैव अधीक्षण अभियंता के कार्यो की बढोत्तरी या घटोत्तरी की सूचना दी जाती रही है। जहॉ पर उनकी आवश्यकता थी लेकिन जहां पर मात्र प्रखण्डीय अधिकारी के कार्यक्षेत्र का मामला था वहां उनको अवगत कराने का कोई औचित्य नही था। अतएव नियम 79 का सदैव पालन किया गया है।

नियम-316 का अनुपालन हुआ है क्योकि प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात ही कार्यो को प्रारम्भ किया गया है।

नियम-317 का पूर्णतया पालन किया गया है, क्योकि आरोप में कोई ऐसा बिन्दु नही दर्शाया गया है जो इस बिन्दु को प्रमाणित कर सके।

नियम-580 का पूर्णरूप से अनुपालन हुआ है साक्ष्य के रूप में कोई भी अभिलेख ऐसा नही लगाया गया है जो यह सिद्ध करे कि नियम-580 का अनुपालन नही किया गया है। ऐसा कोई भी कार्य प्रारम्भ नही किया गया है जिसके लिये धन का आवंटन प्राप्त न हो। अत: नियम 580 का अक्षरश: पालन किया गया है। इस प्रकार आरोप गलत अभिलेख के आधार पर गठित है, और निरस्त करने योग्य है।

<u>अनुपूरक उत्तर -</u>

यह आरोप मिथ्या है क्योकि यह आरोप अशुद्ध रजिस्टर के आधार पर गठित किया गया है। अशुद्ध डिपाजिट रजिस्टर में योजनावार व्ययाधिक्य की स्थिति को आरोप पत्र में निम्न प्रकार दर्शाया गया है :-

क्र0सं0	योजना विभाग का नाम	व्ययाधिक्य
1.	एन0आर0ई0पी0	58,08,640.98
2.	सामुदायिक विकास विभाग	10,70,495.38
3.	स्वास्थ्य विभाग	1,65,453.29
4.	राजस्व विभाग	66,35,669.91
5.	पशुपालन विभाग	22,02,387.93
6.	बी0आर0सी0	14,24,190.70
7.	रेशम विभाग	3,73,712.42
8.	युवा कल्याण विभाग	4,32,936.80
9.	जे0आर0वाई0	25,73,307.80
10.	पूर्वान्चल विकास निधि	63,55,411.05
11.	उद्यान विभाग	2,57,206.26
12.	कृषि विभाग	1,08,222.83
13.	न्याय विभाग	3,647.00
	योग:-	**2,74,11,282.35**

<u>विभिन्न अभिलेखो के मिलान -</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जब मेरे संज्ञान में डिपाजिट रजिस्टर के लेखांकन में त्रुटियॉ परिलक्षित हुयी तब मेरे पत्रांक-1016 दिनांक 12.12.96 के द्वारा डिपाजिट रजिस्टर के छानबीन हेतु एक कमेटी गठित की गयी। कमेटी का मुख्य कार्य डिपाजिट रजिस्टर को अभिलेखों से सत्यापित करना था। सत्यापन पर विभिन्न अशुद्धियॉ प्रकाश में आयी।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-769 बी के अंतर्गत अधिशासी अभियंता को यह अधिकार है कि जब कभी कोई त्रुटि (सस्पेन्स/डिपाजिट) के संबंध में आये उसे ठीक किया जा सकता है। इसी क्रम में अशुद्ध डिपाजिट रजिस्टर के स्थान पर मूल अभिलेखों को आधार मानकर नये डिपाजिट रजिस्टर (रिकास्टेट डिपाजिट रजिस्टर) बनाये जाने का निर्णय लिया गया। रिकास्टेट डिपाजिट को तत्कालीन वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सी0ए0जी0 भारत सरकार एवं आडिट पार्टी ने भी देखा। फिर भी इस आरोप के गठन में तत्कालीन वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में गठित कमेटी, जिन्हें आरोप पत्र गठित किया जाना था, ने रिकास्टेट डिपाजिट रजिस्टर को स्पष्ट रूप से अनदेखा कर दिया। प्रखण्ड वाराणसी से जब अभिलेखों की मॉग की गयी तो यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि रिकास्टेट डिपाजिट रजिस्टर न भेजा जाय। इस प्रकार यह आरोप अशुद्ध डिपाजिट रजिस्टर के आधार पर बना है जिसकी मान्यता दिया जाना न्याय संगत नही है।

यह सूचनीय है कि महालेखाकार (लेखा/हकदारी) ने अपने निरीक्षण में मु0 5.13 करोड रूपया ऋणात्मक होने का उल्लेख किया तथा उसकी प्रति शासन स्तर तक दी और शासन ने फिर मेरे विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की लेकिन स्वयं महालेखाकार (लेखा/हकदारी) ने महालेखाकार (सम्प्रेक्षा) से अपने निरीक्षण में पायी गयी कमियों को गम्भीरता के साथ अध्यावधिक आडिट करने का अनुरोध किया।

इस क्रम में महालेखाकार (सम्प्रेक्षा) के द्वारा प्रेषित आडिट पार्टी ने प्रखण्ड के मूल अभिलेखों को देखा गया तथा वे इस परिणाम पर पहुंचे की महालेखाकार (लेखा/हकदारी) की रिपोर्ट गलत है और प्रखण्ड वाराणसी के पास मु0 1.18 करोड धनात्मक धनराशि कार्यो हेतु उपलब्ध है।

जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है तत्कालीन वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में गठित कमेटी, वाराणसी प्रखण्ड में अभिलेखों की छानबीन के लिए गयी थी, लेकिन वित्त नियंत्रक, श्री बी0एल0 राठौर महालेखाकार के सत्यापन तथा रिकास्टेट डिपाजिट रजिस्टर को स्वीकार करने से इनकार कर दिये और उन्होने कहा कि यदि कोषागार वाराणसी से वर्ष 80-81 से वर्ष 96-97 तक के जमा एवं आहरित धनराशि का सत्यापन हो जाता है तो वे मान जायेगें कि प्रखण्ड की वास्तविक स्थिति क्या है, इस क्रम में उन्होने कोषाधिकारी, वाराणसी को अपने पत्रांक-216 दिनांक 26-08-98 द्वारा उक्त सत्यापन हेतु अनुरोध किया गया।

अभिलेख अत्यन्त पुराने होने के कारण कोषागार को काफी समय लगा और कोषाधिकारी वाराणसी ने अपने पत्रांक 125(1) दिनांक 25.08.98 के द्वारा सत्यापन कार्य को वित्त नियंत्रक को प्रेषित किया। पूरे अवधि का अभिलेख कोषागार में सुलभ नही हो सका। वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

81-82 में जमा किये गये धनराशि, तथा 85-86, 86-87, 87-88, 91-92 एवं 93-94 में काटे गये चेक के अभिलेख कोषागार में नही थे लेकिन उक्त अवधि के कोषागार द्वारा प्रेषित संबंधित अभिलेख (सी0टी0आर0 एवं पासबुक) तथा जो प्रखण्ड में उपलब्ध थे, कोषाधिकारी के माध्यम से उपरोक्त पत्रांक के अनुसार प्रेषित कर दिये गये। उपरोक्त के आधार पर सत्यापन रिर्पोट की स्थिति निम्न प्रकार है :-

वर्ष	जमा	सत्यापन / आहरण
1980-81	सत्यापित	सत्यापित
81-82	कोषागार में अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण सत्यापित नही है। उसे मूल अभिलेख कैशबुक से लिया गया है।	सत्यापित
82-83	सत्यापित	सत्यापित
83-84	सत्यापित	सत्यापित
84-85	सत्यापित	सत्यापित
85-86	सत्यापित	दिसम्बर,85 जनवरी, फरवरी, मार्च,86, कैशबुक अवशेष कोषाधिकारी द्वारा सत्यापित
86-87	सत्यापित	कोषागार के सी0टी0आर0 के आधार पर सत्यापित
87-88	सत्यापित	सत्यापित
88-89	सत्यापित	सत्यापित
89-90	सत्यापित	सत्यापित
90-91	सत्यापित	खण्डीय कैशबुक एवं कोषागार के द्वारा
91-92	सत्यापित	उपलब्ध कराये गये सी0टी0आर0
92-93	सत्यापित	सत्यापित
93-94	सत्यापित	कोषागार से प्राप्त सी0टी0आर0
94-95	सत्यापित	सत्यापित
95-96	सत्यापित	सत्यापित
96-97	सत्यापित	सत्यापित

इस प्रकार वर्ष 80-81 से वर्ष 96-97 तक में मात्र एक वर्ष की जमा धनराशि तथा 85-86 के चार माह का एवं वर्ष 91-92 का खण्डीय कैशबुक के आधार पर एवं अवशेष वर्षो का कोषागार के आधार पर सत्यापित है और इसका गणना करने पर प्रखण्ड के पास मु0 1.26 करोड रूपया धनात्मक अवशेष है। यह समस्त अभिलेख एक बुकलेट के रूप में तैयार कर मेरे द्वारा वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लखनऊ, अधीक्षण अभियंता, वाराणसी, निदेशक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं मुख्य अभियंता, उ0प्र0, लखनऊ तथा सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लखनऊ को पत्रांक-403 दिनांक 26.08.98 द्वारा प्रेषित कर दिया गया।

वर्ष 98-99 में प्रखण्ड के महालेखाकार के सम्प्रेक्षा दल के द्वारा उक्त बुकलेट का भी सत्यापन कर लिया गया है इस प्रकार प्रखण्ड धनात्मक होते हुए भी अशुद्ध डिपाजिट रजिस्टर के कारण ऋणात्मक दर्शाते है। अत: यह आरोप वास्तविक नही है, और मात्र मुझे प्रताडित करने के उददेश्य से यह कार्यवाही की गयी है क्योंकि तत्कालीन वित्त नियंत्रक, द्वारा अभिलेखों की मांग के समय यह जानते हुए कि प्रखण्ड का पुराना डिपाजिट रजिस्टर गलत लेखांकन के कारण त्रुटिपूर्ण हो गया है और उसी रिकास्टिंग महालेखाकार एवं सी0ए0जी0 दिल्ली के संज्ञान में है फिर भी इस आरोप पत्र के गठन के समय अभिलेखों की मांग में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि रिकास्टेट डिपाजिट रजिस्टर न भेजे जाय जो एक उच्च अधिकारी के द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही अन्यायपूर्ण एवं दुर्भावनापूर्ण थी, और जानबूझकर गलत रजिस्टर को आधार बनाकर मुझे आरोपित कर दिया गया।

जब स्वयं मेरे द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के 769(ब) नियमान्तर्गत गलतियो के निराकरण की कार्यवाही की जा रही थी तो उन्हें धैर्य से परिणाम तक कार्य करने देना चाहिए था, महालेखाकार एवं कोषाधिकारी द्वारा यह सत्यापित हो चुका है कि प्रखण्ड धनात्मक है।

उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि महालेखाकार एवं कोषाधिकारी द्वारा सत्यापित आंकडो को नजरअन्दाज करते हुए मुझे प्रताडित करने के उददेश्य से गलत एवं तथ्यहीन तथा आधारहीन, आंकडो के आधार पर यह आरोप गठित किया गया है जो स्वत: के निरस्त करने योग्य है।

पुन: निवेदन करना है कि प्रदेश में जिन प्रखण्डों में निर्माण कार्य पर आडिट पार्टी के द्वारा व्ययाधिक्य दर्शाया गया है उन निर्माण कार्यो को भौतिक सत्यापन हेतु सचिव महोदय, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ के विभिन्न उच्चाधिकारियों को सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया है मुझे विश्वास है कि कार्यो के भुगतान के मूल अभिलेखों से तथा निर्मित कार्यो से यह प्रमाणित हो जायेगा कि समस्त व्यय स्वीकृति निर्माण कार्यो पर ही नियमानुसार हुए है। अत: अन्य प्रखण्डों की भांति मेरे कार्यो के सत्यापन के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाना न्यायोचित होगा।

वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियम 79 के अंतर्गत सदैव अधीक्षण अभियंता के कार्यो की बढोत्तरी या घटोत्तरी की सूचना दी जाती रही है जहां पर उनकी आवश्यकता थी, लेकिन जहां पर मात्र खण्डीय अधिकारी के कार्य क्षेत्र का मामला था वह उनको अवगत कराने का कोई औचित्य नही था। अतएव नियम 79 का सदैव पालन किया गया है।

<u>जॉच अधिकारी की जॉच आख्या</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में यह कहा गया है कि प्रखण्ड के 13 विभागों में 12 करोड रूपये का ऋणात्मक किया जा रहा है वह अशुद्ध डिपाजिट रजिस्टर पर आधारित है, जिसको ठीक करने हेतु अपचारी अधिकारी द्वारा पत्र सं0-1016 दिनांक 16-12-96 द्वारा रजिस्टर रिकास्ट करने के लिए मूल अभिलेखों के सत्यापन किये जाने की व्यवस्था की गयी थी अपचारी अधिकारी का यह कहना कि उस पर लगाये गये उक्त आरोप अशुद्ध डिपाजिट रजिस्टर के आधार पर थे जबकि डिपाजिट रजिस्टर को मूल अभिलेखों से मिलान कर शुद्ध किये जाने की कार्यवाही की जा रही थी। महालेखाकार लेखा एवं हकदारी ने अपने निरीक्षण में 5.13 करोड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रूपये का ऋणात्मक व्यय करने का उल्लेख किया गया है परन्तु महालेखाकार सम्परीक्षण ने अपने निरीक्षण में 1.18 करोड का धनात्मक धनराशि का होना बताया गया है, महालेखाकार के दो विरोधाभास रिपोर्ट के फलस्वरूप शासन द्वारा दिनांक 02 मार्च, 98 द्वारा कन्टोलर एवं आडिटर जनरल भारत सरकार से मूल अभिलेखों की छानबीन कर अनुरोध किया गया कन्टोलर एवं आडिटर जनरल भारत के कार्यालय पत्र दि0 27 मार्च,98 द्वारा यह शासन को अवगत कराया गया कि प्रखण्ड के लेखों में तमाम तरह की कटिंग है, एकाउन्टेट जनरल आडिट द्वारा प्रखण्ड से यह अनुरोध किया गया कि प्रखण्ड के रिकार्ड की रिकास्ट कर लिया जाय। कन्टोलर एवं आडिटर जनरल द्वारा यह कहा गया है कि अभिलेखों की कटिग के कारण किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है, स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रखण्ड के सृजन से लेकर अब तक लेखों को दुबारा रिकास्ट किया जाना होगा। कन्टोलर एवं आडिटर जनरल भारत के उपरोक्त पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रखण्ड का मासिक लेखा फार्म-79 संकलित कर एकाउन्टेट जनरल लेखा एवं हकदारी को भेजा जाता है जो उक्त रूपपत्र में समस्त प्राप्तियां एवं खर्चे जो डिपाजिट के विरूद्व माह में किये जाते है, का अंकन किया जाता है, उपरोक्त फार्म-79 प्रारम्भिक अवशेष एवं अंतिम अवशेष भी दर्शाता है जिससे कि पिछले माह में कितनी धनराशि अवशेष थी जो दर्शित होती है तथा माह के अंतिम में कितनी धनराशि अवशेष है जो अगले माह का प्रारम्भिक अवशेष हो जाता है।

प्रखण्ड-वाराणसी में लेखों का फार्म-79 के आधार पर स्थिति निकाली गयी जिन माहों के प्रमाणित फार्म-79 उपलब्ध नही थे, उनका अन्य अभिलेख डिपाजिट रजिस्टर फार्म-81 जो वर्तमान अधिशासी अभियंता द्वारा दिनांक 12-05-2000 को प्रमाणित है के आधार पर तैयार किया गया। अपचारी अधिकारी का प्रखण्ड वाराणसी में 3-08-82 से 30-6-87 एवं 03-07-91 से 27-08-98 तक कार्यकाल रहा है प्रखण्ड के अभिलेखों की मांग करने पर यह बताया गया कि 4/86 के पूर्व के अभिलेख उपलब्ध नही है 4/86 के फार्म 79 देखे गये जिसका प्रारम्भिक अवशेष 61.45 लाख रूपये धनात्मक है 4/86 के बाद माहों में 6/87 तक फार्म-79 में प्राप्ति एवं खर्चो को जोडने पर 6/87 के अन्त में 41.97 लाख रूपये का धनात्मक अवशेष है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपचारी अधिकारी के प्रथम कार्य में त्रणात्मक व्यय नही किया गया।

आरोपी अधिकारी का दूसरा कार्यकाल 03-07-91 से 27-08-98 तक रहा है जिसमें वर्ष 97 तक किये गये व्यय में त्रणात्मक व्यय का आरोप अपचारी अधिकारी पर लगाया गया है उक्त अवधि के फार्म-79 की मांग प्रखण्ड से की गयी, प्रखण्ड द्वारा 7/91 से 8/92 तक के फार्म-97 उपलब्ध नही कराये गये जिसके अभाव में उस अवधि के डिपाजिट रजिस्टर में प्राप्तियां एवं खर्चे का विवरण जो तत्कालीन अधिशासी अभियंता एवं प्रखण्डीय लेखाधिकारी द्वारा तैयार किये गये है तथा वर्तमान अधिशासी अभियंता द्वारा दिनांक 12-05-2000 को प्रमाणित किया गया है उक्त विवरण पृष्ठ सं0-258 से 387 स्पष्ट है कि 8/92 के अंतिम अवशेष में 29,32,663.51 रूपये धनात्मक रूप से अवशेष थे डिपाजिट रजिस्टर के आधार पर तैयार किये गये विवरण का अंतिम अवशेष जो 29,32,663.51 रूपये धनात्मक है 9/92 के फार्म-79 के प्रारम्भिक अवशेष से मेल खाता है अत: 7/91 से 8/92 तक डिपाजिट रजिस्टर के आधार पर किये गये गणना को सही माना जा सकता है 9/92 के बाद 3/97 तक फार्म-79 का संकलित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विवरण संलग्न है संलग्नक पृष्ठ-261 से स्पष्ट है कि 3/97 को अंतिम अवशेष 115.84 लाख रूपये ऋणात्मक था।

आरोपी अधिकारी पर योजनावार 2,74,11,242.00 लाख ऋणात्मक व्यय का अरोप लगाया है। वर्तमान सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रखण्ड वाराणसी के लेखों की सही स्थिति वर्तमान लेखों के आधार पर नही ज्ञात की जा सकती है। सही स्थिति के लिए प्रखण्ड के लेखों को प्रखण्ड के सृजन से रिकास्ट किया जाना होगा। अतः आरोपी अधिकारी पर योजनावार ऋणात्मक व्यय का स्पष्ट आधार नही है। आरोपी अधिकारी पर प्रखण्ड में 3/97 तक 115.84 लाख अधिक व्यय किया गया जिसमें विकास भवन पर किया गया व्यय सम्मिलित है। आरोपी अधिकारी द्वारा 115.84 लाख का अधिक व्यय किया गया।

<u>आरोप संख्या-9</u>

जब आप अधिशासी अभियंता के पद पर प्रखण्ड-वाराणसी में नियुक्त थे, जब जिला विकास भवन, अनुरक्षण मद में प्राक्कलन स्वीकृति कराये बिना एवं बिना धन आवंटन के अनुरक्षण कार्य हेतु मु0 45,96,900.72 रूपये की धनराशि आप द्वारा माह मार्च, 97 तक व्यय कर दी गई है। अतः उक्त प्रकार किया गया व्यय ऋणात्मक व्यय की श्रेणी में आता है जिसमें से रू0 44,36,180.42 मुख्य विकास अधिकारी के नाम अग्रिम प्रकीर्ण दर्शाया गया है एवं रूपये 1,55,720.30 निक्षेप पंजिका में लेखांकित है। अतः रूपये 45,91,900.72 के ऋणात्मक व्यय हेतु मौलिक रूप से आप दोषी है। उक्त ऋणात्मक व्यय करके आपके द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-75, 316, 317 का उल्लंघन किया गया है।

<u>अपचारी अधिकारी का उत्तर</u> -

विकास भवन का निर्माण स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार वर्ष 1986 में प्रारम्भ हुआ एवं 1989-90 में पूर्ण हुआ, तथा विभिन्न कार्यालय स्थापित किये गये। विकास भवन के निर्माण के अन्तर्गत वर्षो की अवधि से ही अनुरक्षण का कार्य चल रहा था जिसमें मेरे योगदान के पूर्ण 03.07.91 तक मु0 11,25,730.30 रूपया ऋणात्मक व्यय हो चुका था और कई कार्यो के भुगतान अनुबंध के अनुसार देय थे। शासनादेश के अनुसार विकास भवन के अनुरक्षण ग्राम्य विकास अनुभाग-9 उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 15.10.91 के परिपालन में अनुरक्षण का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा ही कराया जा रहा था लेकिन इस मद में कोई भी धनराशि शासन अथवा मुख्य विकास अधिकारी से प्राप्त नही करायी गयी। मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी ने वांछित धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन देते हुए अनुरक्षण कार्य निरन्तर कराते रहने और संबंधित व्यय को डिपाजिट में ऋणात्मक व्यय के रूप में दर्शाते रहने का निर्देश अपने पत्रांक 6262 दिनांक 29.01.91 पत्रांक 5178 दिनांक 16.02.94 एवं पत्रांक-5412 दिनांक 26.02.92 एवं पत्रांक-5178 दिनांक 14.02.95 द्वारा किये गये थे फलस्वरूप प्रश्नगत व्यय प्रखण्ड के लेखों में त्रणात्मक अवशेष अर्थात प्राप्त डिपाजिट से अधिक व्यय के रूप में प्रदर्शित हुआ। इन पत्रों की प्रतियां अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं आयुक्त ग्राम्य विकास को भी दी गयी थी। इस प्रकार ऋणात्मक हुये धन की मांग आयुक्त, ग्राम्य विकास से मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उनके पत्रांक-4895 दिनांक 20.02.97 एवं जिलाधिकारी वाराणसी के पत्रांक-108 दिनांक 22

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनवरी, 97 द्वारा की गयी थी इससे स्पष्ट है कि उच्च अधिकारियों के स्पष्ट निर्देशन में त्रणात्मक व्यय रखरखाव मद में प्रारम्भ से किये जाते रहे। वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियम 580 के तहत धन के अप्राप्त होने पर इस धनराशि को मुख्य विकास अधिकारी के नाम अग्रिम प्रकीर्ण लेखांकित किया गया, इस सम्पूर्ण कार्यवाहियों से तथा अनुरक्षण मद में संदर्भ में मैने अधीक्षण अभियंता एवं जिलाधिकारी से सम्पर्क किया तथा लिखित रूप से जिलाधिकारी से मांग की एवं अनुरक्षण मद हेतु खोलने का आग्रह किया। प्रत्येक माह प्रगति रिपोर्ट एवं सूचना अधिकारियों को दी जाती रही लेकिन इस कार्य को न किये जाने के संबंध में किसी भी उच्चाधिकारी द्वारा रोक नही लगायी गयी। चूंकि अनुरक्षण कार्य मेरे कार्यभार करने के पूर्व से ही चल रहा था तथा प्राक्कलन की स्वीकृति कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व करायी जानी चाहिए थी लेकिन प्राक्कलन स्वीकृति की कार्यवाही न होने के कारण मेरे द्वारा प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता के पत्रांक-1165 दिनांक 17.01.92 द्वारा प्रेषित किया गया था इस समय तक अनुरक्षण हेतु धनराशि प्राप्त न हो पाने के कारण विभिन्न विभागों को दिये गये क्षेत्रफल के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से दिये गये निर्देशो के क्रम में धनराशि प्राप्त करने की कार्यवाही भी की गयी थी। लेकिन कोई धनराशि प्राप्त न होने के कारण अनुरक्षण का कार्य बन्द कर दिया गया, तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के नियम 580 के अनुसार व्ययकृत धनराशि मुख्य विकास अधिकारी के नाम अग्रिम प्रकीर्ण के रूप में डाल दी गयी।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के पैरा 75, 316, 317 का मुझे दोषी बताया गया है जिसके संदर्भ में निवेदन है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियम 75 का मेरे द्वारा भली भांति अनुपालन किया गया और अधीक्षण अभियंता के संज्ञान में प्रत्येक बातों को लाया जाता रहा, यहां तक कि मासिक प्रगति रिपोर्ट में भी ऋणात्मक व्यय दर्शाया जाता रहा इस प्रकार नियम-75 के उल्लंघन का आरोप अनुचित है।

नियम 316 इस आरोप में लागू नही होता। अत: इस नियम के उल्लंघन का प्रश्न नही उठता। नियम-317 का पूर्ण: अनुपालन किया गया है क्योंकि जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से धन की मांग की गयी है। अतएव इसके उल्लंघन का प्रश्न नही उठता इस प्रकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के नियम 75, 316, 317 का उल्लंघन नही हुआ है। अत: यह आरोप निराधार एवं निरस्त करने योग्य है।

<u>जॉच अधिकारी की जॉच आख्या-</u>

आरोपी अधिकारी ने अपने बचाव में यह कहा है कि मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 6242 दिनांक 29-01-91 जिला विकास अधिकारी के पत्रांक-5170 दिनांक 10-02-94 द्वारा त्रणात्मक व्यय किये जाने को अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक-5412 दिनांक 16-02-94 द्वारा अधिशासी अभियंता को ऋणात्मक व्यय करने के आदेश दिये गये थे उपरोक्त समस्त पत्रों से स्पष्ट है कि आरोपी अधिकारी द्वारा विकास भवन के निरीक्षण में ऋणात्मक व्यय किया गया है जिसमें संबंधित मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी भी उत्तरदायी है। अत: आरोपी अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से ऋणात्मक व्यय करने के दोषी है।

6- अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी, के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्यायें, जांच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में अपचारी अधिकारी, श्री

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जे0एन0 तिवारी के अभ्यावेदन, वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की आख्या व संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा श्री जे0एन0 तिवारी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में वित्तीय वर्ष 1982-83 से 1997-98 तक के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के कारण कारित शासकीय क्षति रू0 2,92,23,912.35 की वसूली किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात अपचारी अधिकारी, श्री जे0एन0 तिवारी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर पत्र दिनांक 13-05-2016 व 28-09-2016 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

7- मा0 लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र दिनांक 09-11-2016 द्वारा शासन के प्रस्तावित अनन्तिम दण्ड पर निम्नवत सहमति व्यक्त की है :-

श्री जे0एन0 तिवारी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा की गयी शासकीय क्षति रू0 2,92,23,912.35 की वसूली श्री तिवारी के सेवानैवृत्तिक देयों से की जाय, यदि यह धनराशि उनके सेवानैवृत्तिक देयो से वसूली किया जाना संभव न हो, तो सक्षम न्यायालय के माध्यम से सिविल लायवेल्टी के रूप में अवशेष शासकीय क्षति की वसूली की जाए।"

8- अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-663(1)/62-3-99-91आरई/98 दिनांक 05-03-1999 द्वारा श्री जे0एन0 तिवारी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही, जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-233/92(प्रकोष्ठ)/11-91आरई/98 दिनांक 18-07-2011 द्वारा सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किया गया है, उसमें निम्नवत दण्ड देते हुए श्री तिवारी के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

" श्री जे0एन0 तिवारी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड -वाराणसी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा जनपद वाराणसी में वित्तीय वर्ष 1982-83 से 1997-98 तक हुई वित्तीय अनियमितताओं के कारण कारित शासकीय क्षति रू0 2,92,23,912.35 (रू0 दो करोड बान्नवे लाख तेईस हजार नौ सौ बारह मात्र) की वसूली श्री जे0एन0 तिवारी के सेवानैवृत्तिक देयों से किये जाने और यदि उक्त देयकों से यह वसूली किया जाना संभव न हो, तो सिविल लाइवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली की जाए।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 13/2017/2062(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री जे0एन0 तिवारी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, (सम्प्रति सेवानिृत्त) द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र सं0-61(1)/3/एडीसी/एस-12/2016-17 दिनांक 09-11-2016 के क्रम में।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।